P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-3* November- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

जौनसार–बावर के समाज में खुमड़ी–व्यवस्था एक अध्ययन

नरेन्द्र सिंह
शोधकर्ता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
डी0 ए0 वी0 (पी0जी0) कॉलेज,
देहरादून,
एच0 एन0 बी0 गढ़वाल, केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
श्रीनगर, गढ़वाल

अजय कुमार सक्सेना
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
राजनीति विज्ञान विभाग,
डी0 ए0 वी0 (पी0जी0) कॉलेज,
देहरादून,
एच0 एन0 वी0 गढ़वाल,
केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
श्रीनगर,गढ़वाल

सारांश

जौनसार–बावर क्षेत्र में सम्पूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए एक प्रभावशाली व्यवस्था अर्थात खुमड़ी–व्यवस्था का प्रचलन रहा है। जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में भी एक मजबूत संस्था के रूप में कार्य करती रही है। खुमड़ी–व्यवस्था न केवल न्यायिक संस्था के रूप में बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। और यही कारण है कि खुमड़ी–व्यवस्था पर आज भी जौनसार–बावर के लोंगों का अटूट विश्वास है (नेगी व जोशी 95)।[1] खुमड़ी का प्रमुख, स्याणा (मुखिया) होता है और स्याणा का पद वंशानुगत है। स्याणा क्रमशः गांव स्याणा, मध्य स्तर का स्याणा या खाग स्याणा, खत स्याणा या सदर स्याणा, चौंतरू–स्याणा, अर्थात अंग्रेंजी शासन काल में चार स्तर पर स्याणों के पद सृजित थे लेकिन वर्तमान में तीन प्रकार के स्याणे ही विद्यमान है। जबकि वर्तमान में चौंतरू–स्याणाओं की अवधारणा लगभग समाप्त हो चुकी है। हांलाकि ब्रिटिश काल में चौंतरू–स्याणाओं ने अत्यन्त ही प्रभावशाली तरीके से जौनसार–बावर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया था।

मुख्य शब्द : खुमड़ी–व्यवस्था, खत, चौंतरू–स्याणा, गांव–स्याणा, परम्परागत–पंचायतें, नालिस, डाण्ड, स्याणाचारी प्रथा, बाजगी, त्याड़ा, विस्टाड़ा, देवगड़ना, वजीर, गंठ–खुलाई, जमानती, सदर–स्याणा, कमीण, लोक–अदालत, बंदोबस्त, सामुदायिकता।

प्रस्तावना

जौनसार–बावर क्षेत्र हमेशा से ही अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं परम्पराओं के लिए देश–विदेश के शोधार्थियों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। ठीक इसी प्रकार जौनसार–बावर में प्रचलित खुमड़ी–व्यवस्था अर्थात परम्परागत पंचायतें सदियों से चली आ रही एक अनोखी व्यवस्था है जो न्याय करने की एक प्राचीन व्यवस्था है और ये पंचायतें जौनसार–बावर के समाज द्वारा मान्य प्रक्रिया है जो कि वर्तमान में भी अपना पूर्ण अस्तित्व बनाए हुए है। खुमड़ी (पंचायत) गांव के स्याणा द्वारा बुलाई जाती है। इसलिए इसे स्याणाचारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। न्याय चाहने वाला कोई भी व्यक्ति गांव के स्याणा (मुखिया) के पास एक रूपया देकर नालिस (रिपोर्ट) कर सकता है और स्याणा से खुमड़ी (पंचायत) करवाने का अनुरोध कर सकता है। गांव का स्याणा (मुखिया) खुमड़ी (पंचायत) में अध्यक्ष की भूमिका निभाता है जबकि गांव के प्रत्येक परिवार का वरिष्ठ सदस्य खुमड़ी (पंचायत) में प्रतिभाग करता है। और खुमड़ी (पंचायत) किसी भी मामले पर सर्वसम्मति से अपना निर्णय देती है (शाह 328)।[2]

जौनसार–बावर परगना पहले सिरमौर (वर्तमान में हिमाचल का हिस्सा) के राजा के क्षेत्र का हिस्सा था। लेकिन उससे यह परगना गोरखों ने जीत लिया था तथा गौरखों को खदेड़ने के बाद 1815 में ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया गया । चौंतरू और स्याणा वंशानुगत राजस्व अधिकारी प्रतिष्ठान न केवल राजस्व एकत्र करते थे बल्कि निर्धारित राजस्व को गांवों से वसूली के लिए उनमें वितरित भी करते थे (वालटन 150)।[3] चौंतरू–स्याणाओं के बारे में लोंगो में अलग–अलग मत है। चौंतरू–स्याणा, खत स्याणाओं में से ही चुने गए थे। जोकि जौनसार के साथ–साथ सिरमौर हिमाचल में भी थे जबकि बावर क्षेत्र में चौंतरू होने के प्रमाण नहीं मिलते है (शाह 239)।[4]

साहित्यावलोकन

शोधार्थी की जानकारी में प्रस्तुत शोध अध्ययन से सम्बन्धित पूर्व में शोध कार्य का नितान्त अभाव रहा है। लेकिन जौनसार–बावर के समाज पर केन्द्रित कुछ अध्ययन किये गये है जो निम्नवत् है।

वाल्टन (2006) ने अपने देहरादून गजेटियर में लिखा है कि, जौनसार–बावर समाज खत या ग्राम समूहों में बंटा था। और इन खतों का प्रमुख स्याणा होता था जो गढ़वाल के स्याणों और कुमांऊ के कमीणों की तरह होता था। और चार सबसे ज्यादा प्रभावशाली स्याणा, चौंतरा कहलाते थे जिनकी सम्मिलित सभा चौंतरू कहलाती थी।

शाह (2016) ने अपनी पुस्तक, 'जौनसार–बावर ऐतिहासिक सन्दर्भ' में खुमड़ी–व्यवस्था के बारे में लिखा हैं कि खुमड़ी–व्यवस्था जौनसार–बावर में राजा विराट के समय से ही विद्यमान है। राजा विराट महाभारत काल के कुलिन्द समुदाय से सम्बन्धित था। और खुमड़ी व्यवस्था जौनसार–बावर के समाज द्वारा मान्य प्रक्रिया है जोकि न्याय देने की एक श्रेष्ठ व्यवस्था है।

राणा (2004) ने अपनी पुस्तक 'जौनसार–बावर दर्शन' में पंचायती राज व्यवस्था को जौनसार–बावर में प्रचलित खुमड़ी–व्यवस्था की अनुकृति बताया है।

सकलानी (1999) ने अपने शोध प्रबन्ध में जौनसारी एवं भोटिया जनजातीय सामाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया जिसके अन्तर्गत खुमड़ी–व्यवस्था को जौनसार–बावर के समाज में न्याय देने में एक महत्वपूर्ण संस्था बताया है।

भट्ट (2001) ने अपने शोध प्रबन्ध में जौनसारी समाज का विस्तृत अध्ययन किया जिसके अर्न्तगत उन्होंने जौनसार–बावर में प्रचलित खुमड़ी–व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण संस्था बताया है। और सदर स्याणा या खत स्याणा को समस्त मामलों में सर्वोच्च नियन्त्रक कहा है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

जौनसार–बावर क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से देहरादून जिले का एक पहाड़ी क्षेत्र है। जो कि विकासखण्ड चकराता व कालसी में विस्तृत है। भौगोलिक दृष्टि से जौनसार–बावर क्षेत्र 30^0 से 31^0 35′ उत्तरी अक्षांश तथा 77^0 38′ से 78^0 4′पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है (सिंह 116)।[5] यह मोटे तौर पर अण्डाकार है जिसका अक्ष उत्तर और दक्षिण को है। टौंस नदी जौनसार–बावर के उत्तर पूर्व से घूमकर बहती है। तथा अण्डाकार हिस्से के उत्तरी शीर्ष का चक्कर काटते हुए दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती हैं जहां यह दक्षिण में कालसी के निकट डाकपत्थर में यमुना से मिलती है। उत्तर में यह जौनसार –बावर को टिहरी गढ़वाल से अलग करती है और पूरब में जुब्बल और सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) से अलग करती है। और यमुना नदी अपनी सहायक नदी रिखनाड़गाड़ के साथ जौनसार–बावर को पुरब में टिहरी गढ़वाल से और दक्षिण में देहरादून के बाड़वाला से अलग करती है (वाल्टन 5)।[6]

अन्य पहाड़ी इलाकों की तुलना में जौनसार – बावर ज्यादा वनाच्छादित और बीहड़ है जिसमें समतल जमीन बहुत कम है। और जो है भी वह बिखरी हुई है। पहाड़ बहुत ही ऊबड़–खाबड़ और खड़े हैं। बहुत सी चट्टानें और शिलाएं है। और गांव बहुत कम है, इसलिए खेती कम व श्रमसाध्य है। चट्टानें लगभग चूना–पत्थर वाली है। यहां की पहाड़ियां हिमालयी और शिवालिक श्रृंखला वाली हैं। जौनसार–बावर की असली प्राकृतिक शोभा यहां के देवदार के अनछुए जंगल है। ये जगंल, लोखंडी, बुधेर, मशक, कोटी–कनासर, बिनाल, सीली–गाड़ आदि जगंल प्रमुख है (वाल्टन 6,7,22)।[7]

इस क्षेत्र का नाम जौनसार–बावर क्यों पड़ा इस विषय में लेखकों एवं इतिहासकारों में अलग–अलग मत हैं। परन्तु तथ्य पुर्ण धारणा यह है कि जौनसार–बावर,गढ़वाल से जमना (यमुना नदी) पार होने के कारण यह क्षेत्र 'जमनापार' कहलाने लगा और आगे चलकर 'जौनसार' के नाम से प्रचलित हुआ। ठीक इसी प्रकार उत्तर में पावर नदी होने के कारण कालान्तर में यह क्षेत्र बावर कहलाया इस प्रकार जौनसार–बावर नाम अस्तित्व में आया (जोशी 1)।[8]

परम्परागत रूप से जौनसार–बावर क्षेत्र खतों या ग्राम समूहों में बंटा हुआ है। वर्तमान में यहां कुल 39 खत व 358 राजस्व गांव है खत का प्रमुख सदर–स्याणा या खत स्याणा होता है। खतों के नाम क्रमशः– देवघार,बावर, बाणाधार,लखौं, सिलगांव–बावर, फनार, भरम, मसो, कैलो, मोहना, द्वार, उपरली–अठगांव, रगौ, धुनौ, दसौ, मलेथा, तपलाड़, छुल्टाड़, बौन्दर, बिसलाड़, बनगांव, वुरास्वा, विरमौऊ, कोथी, सेली, समाल्टा, कोरू, बहलाड़, लखवाड़, फरटाड़, बाना, हरीपुर–ब्यास, पंजगांव, सिली–गोथान, बमटाड़, उदपाल्टा, सिलगांव, बिशायल, अठगांव–चंदौ। 2011 की जनगणना के अनुसार जौनसार–बावर की कुल जनंसख्या लगभग 1,30,582 है। जिसमें कुल परिवारों की संख्या 16,465 है (शाह 208–214)।[9]

अध्ययन का महत्व

जौनसार–बावर के समाज में खुमड़ी (पंचायत) सदियों से न केवल न्यायिक संस्था के रूप में बल्कि सभी सामाजिक समस्याओं के समाधान करने में अपनी महत्पूर्ण भूमिका निभाती रही है। और वर्तमान समय में भी पंचायती राज व्यवस्था के साथ–साथ खुमड़ी (पंचायत) व्यवस्था अपना पूर्ण अस्तित्व बनाये हुए है। इसलिए खुमड़ी (पंचायत) की प्रमुख विशेषताओं को जानना अति महत्तपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जहां एक और हम लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को सुदृढ़ कर रहे है वही दुसरी और खुमड़ी (पंचायत) जैसी पुरातन परम्परा का आधुनिक समाज में अस्तित्व में होना यह प्रदर्शित करता है कि हमारे समाज निर्माण में हमारी संस्कृति एवं परम्परा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है।

1. जौनसार–बावर में प्रचलित खुमड़ी–व्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन करना।
2. अंग्रेजी शासन काल में चार–चौंतरू (स्याणाओं) की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक अनुसन्धान एवं ऐतिहासिक पद्धति

का प्रयोग किया गया है। और तथ्यों के संकलन में द्वितीयक स्त्रोतों को आधार बनाया गया है।

खुमड़ी की अवधारणा

खुमड़ी अर्थात परम्परागत पंचायतें जौनसार–बावर के समाज में न्याय करने की एक प्राचीन व्यवस्था है। जो कि वर्तमान में भी अपना पूर्ण अस्तित्व बनाए हुए है। खुमड़ी (पंचायत) गांव के स्याणा (मुखिया) द्वारा बुलाई जाती है और स्याणा, खुमड़ी में अध्यक्ष की भूमिका निभाता है इसलिए इसे स्याणाचारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। गांव मे प्रत्येक परिवार का वरिष्ठ सदस्य खुमड़ी में प्रतिभाग करता है और खुमड़ी किसी भी मामले पर सर्वसम्मति से अपना निर्णय देती है। इस प्रकार खुमड़ी–व्यवस्था एक सस्ता न्याय है इसे लोक–अदालत के रूप में भी समझा जा सकता हैं। न्याय चाहने वाला कोई भी व्यक्ति गांव के स्याणा के पास मात्र एक रूपए देकर नालिस (रिपोर्ट) कर सकता है। और स्याणा से खुमड़ी करवाने का अनुरोध कर सकते है। और स्याणा स्वयं या गांव के वरिष्ठ लोंगों की सलाह से खुमड़ी की तिथि निर्धारित करता है। और स्याणा बाजगी (स्याणा का सहायक) के माध्यम से गांव में प्रत्येक परिवार को खुमड़ी की सूचना देता है। तत्पश्चात् निर्धारित तिथि को खुमड़ी बैठती है और गांव के पंच दोनों पक्षों को सुनकर न्याय देते है। यदि दोंनो पक्षों में से कोई एक या दोनों पक्ष गांव की पंचायत से सहमत नहीं है तो वह एक से अधिक गांवों की पंचायत करवाने के लिए मध्य स्तर के स्याणा से खुमड़ी करवाने का अनुरोध कर सकते है। लेकिन यदि कोई पक्ष मध्य स्तर की खुमड़ी के निर्णय से भी सहमत नहीं है तो वह खत स्याणा या सदर स्याणा के पास एक रूपया देकर नालिस (रिपोर्ट) कर सकता है। अर्थात खुमड़ी करवाने का अनुरोध कर सकता है और खत (ग्राम समूह) खूमड़ी के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकता है (शाह 328–330)।[10]

यदि खत के बाहर का मामला हो, तो दोनों खतें बैठती हैं, खुमड़ी की बकायदा नियमावली है जो लिखित नही हैं बल्कि जुबानी हैं। लेकिन नियमावली लिखित नहीं होने के बावजूद भी लोग खुमड़ी के फैसले का हमेशा से ही सम्मान करते रहे है, ऐसे अवसर दुलर्भ ही दिखाई देते है, जब किसी व्यक्ति ने खुमड़ी के फैसले का सम्मान न किया हो और यदि कोई व्यक्ति कुछ भी फैसला स्वीकार नहीं करता है, तो उसे सारे पंच सर्वसम्मति से त्याड़ा (बायकाट) कर देते हैं। और यह सामाजिक बहिष्कार तब तक जारी रहता है, जब तक की वह व्यक्ति पंचों की बात न मानकर पंचों से सार्वजनिक रूप से माफी न माँग लें। हांलाकि खुमड़ी के किसी भी फैसले के खिलाफ व्यक्ति अदालत में जाने के लिए स्वतन्त्र होता है, और अदालत के फैसले का पंचों द्वारा हमेशा से ही सम्मान किया जाता रहा है। खुमड़ी (पंचायत) में आए पंच पक्ष–विपक्ष से कुछ विस्टाड़ा (शुल्क) लेते है, जिसे पंच आपस में बाँट लेते हैं। हांलाकि यह शुल्क नाममात्र का लिया जाता है। जब कभी खुमड़ी एक दिन में कोई फैसला नहीं सुना पाती है। तो ऐसी स्थिति में खुमड़ी की कार्यवाही लगातार चलती रहती है। और पंचों के भोजन की व्यवस्था सम्बन्धित दोंनों पक्षों को करनी होती है। और यदि किसी पक्ष पर जुर्म साबित हो जाता है, तो जुर्म अनुसार अर्थदण्ड या डाण्ड भी लगाया जाता है। यदि खुमड़ी के फैसले को दोनों पक्ष नहीं मानते हैं, तो फैसला देवता पर छोड़ा जाता है, अर्थात एक पक्ष जिसे पंच झूठा मानता है, उसे कसम खाने को कहा जाता है, और कसम देव मन्दिर में ही खाई जाती है। और कसम खाने वाले को विपक्षी द्वारा कुछ पैसा भी दिया जाता है। इस प्रकिया को देवघडंना कहा जाता है। इस प्रकार जौनसार–बावर के समाज में खुमड़ी को न्याय की श्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती है, यदि किसी झगड़े का फैसला न्यायालय में भी नहीं हो पाता है, तो खुमड़ी में तय हो जाता है (शाह 328–330)।[11]

जौनसार–बावर में खुमड़ी व्यवस्था अर्थात परम्परागत पंचायतें प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। कहा जाता है कि यह व्यवस्था राजा विराट के समय से ही विद्यमान है। राजा विराट महाभारत काल में कुलिन्द समुदाय से सम्बन्धित था जिसकी राजधानी जौनसार–बावर के विराट खाई के पास बने विराटगढ़ में थी। आज भी यह गढ़ खंडहर के रूप में मसूरी–चकराता मार्ग पर स्थित है। इसके पश्चात् आगे चलकर सिरमौर (वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा) रियासत के राजाओं, तथा आधुनिक काल में अंग्रेंजी शासकों ने भी स्याणाचारी प्रथा को कायम रखा। गांव स्याणा गांव का शासक होता था और वह खत स्याणा या सदर स्याणा के अधीन होता था। खत स्याणा वजीर से जुड़ा होता था और वजीर, आला वजीर से, और आला वजीर सीधा राजा के अधीन होता था, लेकिन गांव या खत स्याणा पंचों की राय से कार्य करता था। इस प्रकार कहा जा सकता है, कि परम्परागत पंचायतें एक प्रकार से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में कार्य करती रही है। हांलाकि गांव स्याणा एवं खत स्याणा का पद वंशानुगत होता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में स्याणा को उसके पद से पंचों के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। और पंचों की सर्वसम्मति से नये स्याणा को नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते है। कि जब किसी स्याणा को उसके पद से हटाया गया हो (शाह 44,150)।[12]

चौंतरू–स्याणाओं के बारे में लेखकों एवं इतिहासकारों में अलग–अलग धारणाएँ प्रचलित है। एटकिंसन के अनुसार,जौनसार–बावर में चार सबसे ज्यादा प्रभावशाली स्याणें, चौंतरा–स्याणा कहलाते थे (344)।[13] शाह के अनुसार, चौंतरू स्याणा खत स्याणाओं में से ही चुने गये थे जोकि जौनसार के साथ–साथ सिरमौर (हिमाचल) में भी थे। जबकि बावर क्षेत्र में चौंतरू होने के प्रमाण नही मिलते हैं। गांव स्याणा व खत स्याणा बावर में जौनसार की तरह ही थे, लेकिन चौंतरू स्याणा की जगह शासन चलाने के लिए महासू महाराज का वजीर था (239)।[14] महासू महाराज जौनसार–बावर के प्रमुख देवता है। और इनका प्रमुख धाम हनोल में स्थित है हांलाकि महासू महाराज के मन्दिर जौनसार–बावर के विभिन्न गांवों में भी स्थित है। चौंतरू–स्याणाओं में मुन्धान गांव से स्याणा रामदास, उद्पाल्टा गांव से देवी सिंह स्याणा, समाल्टा गांव से ज्वाला स्याणा, व खत सैली से कल्लू स्याणा थे। लेकिन कहा जाता है कि ये चौंतरू स्याणा बाद में बदल गये थे। जैसे–उद्पाल्टा नहीं बल्कि मूल

चौंतरा ग्राम ध्योरा का था और खत सेली का चौंतरा ग्राम माखटी का था जबकि ग्राम मुन्धान का चौंतरा रामपुर गांव का था। और आगे चलकर ब्रिटिश काल में मून्धान गांव में चौंतरा लखवाड़ चला गया था। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का मानना है कि सिरमौर रियासत ने केवल चार–चौंतरू कायम किये थे। जिनमें से दो चौंतरू जौनसार में व दो चौंतरू सिरमौर रियासत में थे। इनमें से एक राजपूत व एक ब्राह्मण चौंतरा जौनसार से तथा एक राजपूत व एक ब्राह्मण सिरमौर से थे। जौनसार में राजपूत चौंतरा ग्राम ध्योरा से व ब्राह्मण चौंतरा ग्राम मून्धान से थे। जबकि सिरमैार में राजपूत चौंतरा ग्राम टौंरू तथा ब्राह्मण चौंतरा ग्राम टिटियाणा से थे। इसके अरिरिक्त चौंतरू स्याणा के बारे में सर्वाधिक प्रचलित धारणा यह है कि, एक समय जौनसार के गढ़–बैराट क्षेत्र में सामुशाह राजा राज करता था। और यह राजा अत्यन्त ही क्रूर एवं अत्याचारी था। और यह राजा प्रतिदिन अपने लिए क्षेत्र से दूध मंगवाता था और यदि कोई दूध देने से मना करता तो उसे सजा दी जाती थी। लेकिन एक दिन एक महिला के घर में दूध नहीं था और उस महिला ने डर के कारण अपना दूध दुहकर सैनिकों को दे दिया और यह दूध राजा को अत्यन्त ही स्वादिष्ट लगा। और जब राजा को यह पता चला कि यह दूध किसी महिला का था तो राजा ने सम्पूर्ण क्षेत्र में यह आदेश दिया कि, ऐसी सभी महिलाएं अपना दूध केवल राजा को ही दें। ऐसी स्थिति में उनके छोटे बच्चे भुख से मरने लगे। इस घटनाक्रम से दुखी होकर क्षेत्र के लोगों ने खुमड़ी (पंचायत) बुलाई और खुमड़ी में सभी पंचों ने सर्वसम्मति से चार–चौंतरू को इस आशय से नियुक्त किया, कि वह महासू महाराज के पास हनोल मन्दिर जाकर राजा के अत्याचारों से बचने की गुहार लगाएं। इस प्रकार चार–चौंतरू हनोल जाकर महाराज को लेकर आए। और महासू महाराज ने अत्याचारी राजा को मारकर जनता को बचाया। वैसे यह धारणा अत्यधिक तर्कपूर्ण साबित होती है, क्योंकि चार–चौंतरू गढ़–बैराट के काफी नजदीक है और गढ़ की चारों दिशाओं में हैं (शाह 239–240)।[15]

स्थानीय पुश्तैनी राजस्व–अधिकारी न केवल राजस्व वसूली करते थे बल्कि राजस्व आवंटन का भी काम देखते थे। जौनसार–बावर परगने को राजस्व–वसूली के लिए 'खत' या ग्राम समूहों में बांटा गया था और खत का प्रमुख खत स्याणा या सदर स्याणा होता है। खत का प्रमुख स्याणा उसी तरह का है जैसा गढ़वाल में स्याना और कुमांऊ में कमीण होता था। और जौनसार–बावर में चार सबसे ज्यादा प्रभावशाली स्याणा चौंतरा या चार–चौंतरू स्याणा कहलाते थे। इन चौंतरा स्याणाओं को जौनसार–बाबर परगने के लिए निर्धारित राजस्व एकत्रण का कार्य सौंपा जाता था। और ये लोग खत स्याणाओं के माध्यम से राजस्व–वसूली का कार्य करते थे। पूरे समुदाय में एक महाजन या बैंकर था जिनका नाम दीनदयाल राम था जो कालसी में रहता था। उसने राजस्व के समय भुगतान की जमानत दी इसलिए माल जामिन के नाते वह महाजन नियुक्त हुआ। माल जामिन ने राजस्व का भुगतान कर दिया और भू–स्वामियों के खाते में उनके हिस्से की राशि को कर्ज दिखाया जिस पर उस दिन से ब्याज लगा जिस दिन राजस्व का भुगतान करना था। इसमें इस बात को अनदेखा किया गया कि कितनी तारीख को वास्तविक भुगतान किया। इससे माल जामिन को जो बचत हुई उसे महाजन का भत्ता माना गया। चौंतरा–स्याणा केवल राजस्व अधिकारी ही नहीं थे बल्कि उन्हें कोड़े लगााने, जेल की सजा देने और फांसी तक देने का भी अधिकार था। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेजों ने जौनसार–बावर में अपनी जड़े मजबूत करने के लिए स्थानीय परम्पराओं का भरपूर लाभ उठाया। चौंतरू एंव स्याणाओं को राजस्व अधिकारी के रूप में वेतन भी मिलता था और प्रत्येक खत के स्याणा को अपने खत में चौंतरू स्याणा से कुछ कम शक्तियां प्राप्त थी। और प्रत्येक खत स्याणा को अपने खत में एकत्रित कुल राजस्व का पांच प्रतिशत 'बिसौत' के रूप में उसी तरह भत्ते के तौर पर मिलता था जिस प्रकार मैदानी क्षेत्र में लम्बरदार का शुल्क दिया जाता था। जमानती की आमदानी काफी ज्यादा थी। उसे प्रति एक सौ रूपया एक चौथाई आना या कुल राजस्व पर एक महीने का ब्याज अपना रूपयों का थैला खोलने के लिए 'गठ–खुलाई' के रूप में प्राप्त होते थे और इसके अलावा चार वार्षिक किश्तों पर 18.12 प्रतिशत वार्षिक की दर से जो ब्याज था, वो अलग था। ये चार वार्षिक किस्तें भुगतान से छह माह पहले देय होती थी, लेकिन महाजन का ब्याज देय तिथि से या भुगतान से छः माह पहले से लग जाता था (एटकिन्सन 344,345)।[16]

मेजर यंग ने सिफारिश की कि, चौंतरा–स्याणा 1,000 रूपया अतिरिक्त राजस्व देंगें तथा आठ माह तक 300 लोग बास्तील गांव से कालसी तक की सड़क बनाएंगे इस आशय से प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। और इस आधार पर पांचवा बन्दोबस्त वर्ष 1829 से 1834 तक सम्पन्न हुआ और अगला बन्दोबस्त (1834–35 से 1848,49) भी मेजर (अब कर्नल) यंग ने ही किया था। तब वह देहरादून का सुपरिटेंडेंट भी था। सरकारी रिकार्ड में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चल सके कि राजस्व निर्धारण किस प्रकार किया जा रहा है। अनेक अधिकारियों ने परगने की जनता का मोटा अनुमान लगाने से ज्यादा कुछ नहीं किया और चौंतरू–स्याणाओं द्वारा स्वीकार करने पर इसे हर खत में बांट दिया गया जिसे कालसी में माल जामिन देय तिथि को जमा कर तहसीलदार को भुगतान कर देता था। सन् 1830 में राजस्व के जमानती दीनदयाल की मृत्यु हो गई और उसके बेटे कृपाराम और चौंतरा–स्याणाओं के बीच टकराव शुरू हो गया। और ये मामला वर्ष 1844 में मिस्टर वैन्सिटैर्ट की जानकारी में आए और उसने कृपाराम को माल जामिन के पद से हटा दिया। लेकिन वर्ष 1846 में मिस्टर एं रौस ने उसे फिर यह पद दे दिया। इस पर चौंतरा–स्याणाओं ने आपत्ति की और प्रतिद्वन्द्वी महाजन बना दिया। लेकिन इस पर उन्हें सुपरिटेंडेंट का आदेश मिला जिससे उन्हें फिलहाल कार्यमुक्त कर दिया गया था। चौंतरू–स्याणाओं ने न केवल अपना विरोध जारी रखा बल्कि आगरा से लेफ्टिनेंट–गर्वनर को अपील करने के लिए बड़ी राशि भी वसूल की। यह ऐसे समय किया गया जब महासू का वजीर विशेष राशि वसूल रहा था।

इस दोहरी वसूली के भार से परेशान जनता ने

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-3* November- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सन् 1849 में मिस्टर रौस के परगना–दौरे के दौरान अपना विरोध प्रदर्शित किया। ठीक इसी वर्ष गर्वनर–जनरल का भी जौनसार–बावर में गुजरना हुआ और दोंनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज की। माल–जामिन के विरूद्ध यह शिकायत की कि, वह अत्यधिक ब्याज लेने के कारण क्षेत्र का शोषण कर रहा है जबकि चौंतरू–स्याणाओं पर आरोप था कि उन्होंने अपने–अपने उपजाऊ खत पर तो कम राजस्व निर्धारित किया हैं। और उनका सारा भार गरीब खतों के ऊपर डाल दिया हैं। परिणामस्वरूप कम उपजाऊ खतों वाले लोग कर्ज में इस कदर डूब गए है कि वे ऋण की अदायगी नहीं कर पा रहें हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए भू–राजस्व का पुनःनिर्धारण आवश्यक हो गया था और इनके लिए मिस्टर रौस ने प्रयास शुरू किए। और प्रत्येक खत व गांवों की स्थिति की जांच के बाद एक नियमित बंदोबस्त किया गया और अब चौंतरू–स्याणाओं के अधिकार व कर्तव्य समाप्त कर दिये गए। तथा हर खत के स्याणाओं द्वारा राजस्व–प्रबंध की व्यवस्था की गई (एटकिन्सन 345, 346)।[17]

इस प्रकार चौंतरू–स्याणाओं का राजकोषीय दायित्व अब खत के स्याणाओं पर आ गया और हर हिस्सेदार की संयुक्त जिम्मेदारी उसके अपने खत तक सीमित हो गई। 1883 ई0 में मिस्टर रौस को खतों के राजस्व की पड़ताल के लिए तैनात किया गया और उसे यह भी सुझाव देने थे कि क्या स्याणाचारी व्यवस्था से बेहतर कोई प्रणाली हो सकती थी। परिणामस्वरूप मिस्टर रौस ने स्याणाचारी प्रथा को लागू रखने की जबर्दस्त वकालत की। हांलाकि मिस्टर रौस ने यह भी माना कि यह प्रणाली कई मामलों में आपत्तिजनक भी है क्योंकि राजस्व के वितरण में स्याणों के अधिकार पर कोई अंकुश नहीं था। इन परिस्थितियों में स्याणाचारी व्यवस्था के प्रस्तावित समापन और उसके स्थान पर रैयतवाड़ी के खिलाफ मुख्य आपत्ति यह थी कि लोग स्वयं स्याणाचारी प्रथा के पक्ष में थे। और स्थानीय रसूख वाले लोगों को किनारे करने का असर यह होता कि झगड़ों के निपटाने के लिए दोस्ताने तरीके के बजाए मुकदमे–बाजी का सहारा लिया जाता (वाल्टन 154,161)।[18] इस प्रकार 1953 में जौनसार–बावर में उत्तर–प्रदेश पंचायती–राज अधिनियम के प्रभाव में आने से स्याणाओं के सभी कानूनी अधिकार समाप्त कर दिये गये (रावत 102)।[19] हांलाकि जौनसार–बावर के समाज में वर्तमान में भी स्याणाओं की सामाजिक भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है (राणा 124)।[20]

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भले ही खुमड़ी–व्यवस्था में कुछ खामियां रही हो लेकिन सच्चाई यह भी है कि खुमड़ी में सामूदायिकता की भावना आज भी विद्यमान है और लोग भावनात्मक रूप से खुमड़ी से जुड़े रहते है जबकि नवीन त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के कारण ग्रामीण समाज में सामुदायिकता की भावना समाप्त होती जा रही है (रावत 102)।[21] उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट होता है कि खुमड़ी–व्यवस्था में जौनसार–बावर के लोंगों का आज भी अटूट विश्वास है। क्योंकि खुमड़ी–व्यवस्था स्थानीय लोंगो को कम समय व कम खर्च में पक्षपात रहित न्याय प्रदान करती है (नेगी व जोशी 95)।[22] और ऐसी परिस्थितियों में खुमड़ी जैसी प्राचीन संस्थाओं का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है जब हमें न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका में कई सालों तक भटकना पड़ता है। चौंतरू–स्याणाओं की भूमिका के बारे में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन जौनसार–बावर के समाज में उनकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा होने के कारण अंग्रेंजो ने भी उनका भरपूर लाभ उठाया। और चौंतरूओं के माध्यम से आसानी से अपना राजस्व संग्रह करते रहें। और उन्हें कुछ कानूनी अधिकार देकर अपनी जड़ो को और अधिक मजबूत किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *नेगी, गिरधर सिंह एवं मंजुल जोशी, मध्य हिमालय जौनसार–बावर आंचल कल और आज,मल्लिका बुक, 2010.*
2. *शाह, टीकाराम, जौनसार–बावर ऐतिहासिक सन्दर्भ, विनसर पब्लिशिंग कं0, 2016.*
3. *एच0 जी0 वाल्टन, देहरादून का गजेटियर. प्रकाश थपलियाल द्वारा अनुवादित, विनसर पल्लिशिंग कं0, 2006.*
4. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त.*
5. Shanti Singh. *"Use of traditional techniques for sustainably developing jaunsar-bawar tribal region of uttarakhand." Remarking an analisation, vol. 2, No.5, Aug. 2017, P.116.*
6. *वाल्टन, एच0 .जी0, पूर्वोक्त.*
7. *वाल्टन, एच0. जी0,पूर्वोक्त.*
8. *जोशी, के0 आर, जौनसार–बावर का संक्षिप्त परिचय, सोसायटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एण्ड एकशन (समता),1975.*
9. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त.*
10. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त.*
11. *शाह, टीकाराम,पूर्वोक्त.*
12. *शाह, टीकाराम,पूर्वोक्त.*
13. *एटकिन्सन, एडविन टी0, हिमालयन गजेटियर, उतरायण प्रकाशन हिमालय संचेतना आदिबरी, 1998.*
14. *शाह, टीकाराम,पूर्वोक्त.*
15. *शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त.*
16. *एटकिन्सन, एडविन टी0, पूर्वोक्त.*
17. *एटकिन्सन, एडविन टी0, पूर्वोक्त.*
18. *वाल्टन, एच. जी, पूर्वोक्त.*
19. *रावत,जयसिंह, उत्तराखण्डः जनजातियों का इतिहास, विनसर पब्लिशिंग कं0, 2013.*
20. *राणा,जे0 पी0 सिंह,जौनसार–बावरदर्शन,सरस्वती प्रेस, 2004.*
21. *रावत, जयसिंह, पूर्वोक्त.*
22. *नेगी, गिरधर सिंह एवं मंजुल जोशी, पूर्वोक्त।*